न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 – 45/2024

अनवान : –

1. सुभाष पुत्र फुलसिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा त0 भादरा।

– वादी

बनाम

1. राजकुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील भादरा।
2. प्रमीला पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा त0 भादरा।
3. विमला पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा त0 भादरा।
4. रोशनी पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा त0 भादरा।
5. बृजलाल पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी श्योपुरा त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत
धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी
श्री सुरेन्द्र मील प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 24.05.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 बारानी भादरा के वर्तमान खाता सं0 160/152 के मु0न0 108 के किला न0 17, 18, 23, 24 की कुल 1.012है0 बारानी मुश्तर्का खातेदारी में प्रतिवादी राजकुमार के नाम 85/4048 हिस्सा, प्रतिवादी प्रमीला के नाम से 85/4048 हिस्सा, प्रतिवादी विमला के नाम से 85/4048 हिस्सा प्रतिवादी रोशनी के नाम 1097/4048 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त वादभूमि पहले प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी सं0 4 के पति रामसिंह पुत्र बीरबल के नाम 26–2/3 हिस्सा खातेदारी हुआ करती थी। रामसिंह ने अपनी जायज जरूरत के लिए उक्त वादभूमि मे से 20 हिस्सा अर्थात् 0.253है0 बारानी खातेदारी वादी को दिनांक 28.01.2004 को उप[illegible] बैयनामा तस्दीक रजिस्टर करवा दिया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि के वादी के [illegible] वादी को 1 [illegible] भूमि 0.253है0 का कब्जा वादी को संभला दिया था, [illegible] वादी ने बैयनामा की [illegible] हल्का

Scanned with OKEN Scanner

पटवारी को नामान्तरण दर्ज करने के लिए दे दी थी। परन्तु हल्का पटवारी की लापरवाही के चलते उक्त खरीदशुदा भूमि का वादी के नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया एवं वादी को बता दिया गया कि नामान्तरण दर्ज कर दिया गया है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने अपनी शेष खातेदारी को प्रतिवादी सं0 5 बृजपाल को विक्रय की थी परन्तु बैयनामा करवाते समय वादी को विक्रय की गई 0.253 है0 खातेदारी का भी प्रतिवादी बृजलाल के पक्ष में सहबन से बैयनामा तस्दीक रजिस्टर हो गया। जिसकी वादी एवं प्रतिवादीगण को कोई जानकारी नहीं हैं। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के पास चक 7 बारानी में ही एक बीघा अन्य भूमि थी जिसका बैयनामा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने करवाया था तथा उसी का कब्जा दिया था परन्तु रिकार्ड की जानकारी नही होने के चलते वादी की खरीदशुदा खातेदारी जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही थी उसका बैयनामा प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में हो गया था। परन्तु रिकार्ड माल में उक्त खातेदारी आज भी प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है जिससे वादी के हकों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। अतः वादी अपने हकों की घोषणा करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया । राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से ईकबाल दावा पेश किया जिसे तस्दीक किया गया।

साक्ष्यवादी में वादी सुभाष द्वारा मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश कर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। जिनमें जमाबंदी चक 7 बारानी भादरा के खाता सं0 160/152 संवत 2074–77 प्रदर्श 1 बैयनामा प्रदर्श 2ए प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद रोही मौजा चक 7 बारानी भादरा के वर्तमान खाता सं0 160/152 के मु0न0 108 के किला न0 17, 18, 23, 24 की कुल 1.012है0 बारानी मुश्तर्का खातेदारी में प्रतिवादी राजकुमार के नाम 85/4048 हिस्सा, प्रतिवादी प्रमीला के नाम से 85/4048 हिस्सा, प्रतिवादी विमला के नाम से 85/4048 हिस्सा प्रतिवादी रोशनी के नाम 1097/4048 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त वादभूमि पहले प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी सं0 4 के पति रामसिंह पुत्र बीरबल के नाम 26–2/3 हिस्सा खातेदारी हुआ करती थी। रामसिंह ने अपनी जायज जरूरत के लिए उक्त वादभूमि मे से 20 हिस्सा अर्थात् 0.253है0 बारानी खातेदारी वादी को दिनांक 28.01.2004 को उपपंजीयन भादरा के समक्ष बैयनामा तस्दीक रजिस्टर करवा दिया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वाद भूमि के वादी के पक्ष में बैयनामा के दिन से ही वादी को 1 बीघा भूमि 0.253है0 का कब्जा वादी को सम्भला दिया था, तथा वादी ने बैयनामा की प्रति हल्का पटवारी को नामान्तरण दर्ज करने के लिए दे दी थी। परन्तु हल्का पटवारी की लापरवाही के चलते उक्त खरीदशुदा भूमि का वादी के नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया एवं वादी को बता दिया गया कि नामान्तरण दर्ज कर दिया गया है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने अपनी शेष खातेदारी को प्रतिवादी सं0 5 बृजपाल को विक्रय की थी परन्तु बैयनामा करवाते समय वादी को विक्रय की गई 0.253 है0 खातेदारी का भी प्रतिवादी बृजलाल के पक्ष में सहबन से बैयनामा तस्दीक रजिस्टर हो गया। जिसकी वादी एवं प्रतिवादीगण को कोई जानकारी नहीं हैं। चूँकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के पास चक 7 बारानी में ही एक बीघा अन्य भूमि थी जिसका बैयनामा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने करवाया था तथा उसी का कब्जा दिया था परन्तु रिकार्ड की जानकारी नही होने के चलते वादी की खरीदशुदा खातेदारी जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही थी उसका बैयनामा प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में हो गया था। परन्तु रिकार्ड माल में उक्त खातेदारी आज भी प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है। अतः उक्त वाद भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से 0.253है0 भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 7 बारानी भादरा के वर्तमान खाता सं0 160/152 के मु0न0 108 के किला न0 17, 18, 23, 24 की कुल 1.012है0 बारानी मुश्तर्का खातेदारी में प्रतिवादी राजकुमार के नाम 85/4048 हिस्सा, प्रतिवादी प्रमीला के नाम से 85/4048 हिस्सा, प्रतिवादी विमला के नाम से 85/4048 हिस्सा प्रतिवादी रोशनी के नाम 1097/4048 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी सं0 4 के पति रामसिंह पुत्र बीरबल 20 हिस्सा अर्थात् 0.253है0 बारानी खातेदारी वादी को दिनांक 28.01.2004 को उपपंजीयन भादरा के समक्ष बैयनामा तस्दीक रजिस्टर करवा दिया था। लेकिन भूलवंश उक्त बैयनामा का नामान्तरण वादी के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बैयनामा प्रदर्श 2ए के मुताबिक प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पिता ने 20 हिस्सा अर्थात 0.253है0 भूमि का बैयनामा दिनांक 28.01.2004 को वादी के पक्ष में तस्दीक करवाया है, उक्त 0.253है0 का खातेदार वादी को घोषित करने के लिए प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की है। अतः उक्त बैयनामा तथा राजीनामा को आधार मानकर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 7 बारानी भादरा के वर्तमान खाता सं0 160/152 के मु0न0 108 के किला न0 17, 18, 23, 24 की कुल 1.012है0 बारानी मुश्तर्का खातेदारी में प्रतिवादी राजकुमार के नाम 85/4048 हिस्सा, प्रतिवादी प्रमीला के नाम से 85/4048 हिस्सा, प्रतिवादी विमला के नाम से 85/4048 हिस्सा प्रतिवादी रोशनी के नाम 1097/4048 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में 0.253है0 का खातेदार वादी सुभाष को घोषित किया जाता है तथा 0.253है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के हिस्सा मे से बहिस्सा बराबर कम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24-05-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 – 45/2024

अनवान : –

1. सुभाष पुत्र फुलसिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा त0 भादरा।

– वादी

बनाम

1. राजकुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील भादरा।
2. प्रमीला पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा त0 भादरा।
3. विमला पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा त0 भादरा।
4. रोशनी पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा त0 भादरा।
5. बृजलाल पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी श्योपुरा त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी. चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी भादरा के वर्तमान खाता सं0 160/152 के मु0न0 108 के किला न0 17, 18, 23, 24 की कुल 1.012है0 बारानी मुश्तर्का खातेदारी में प्रतिवादी राजकुमार के नाम 85/4048 हिस्सा, प्रतिवादी प्रमीला के नाम से 85/4048 हिस्सा, प्रतिवादी विमला के नाम से 85/4048 हिस्सा प्रतिवादी रोशनी के नाम 1097/4048 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में 0.253है0 का खातेदार वादी सुभाष को घोषित किया जाता है तथा 0.253है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के हिस्सा मे से बहिस्सा बराबर कम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24-05-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.24 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

24/05/24

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner